न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/368

विभागीय अपील द्वारा सुश्री प्रांजल कंवर, तहसीलदार निवाई, जिला टोंक विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, टोंक के आदेश क्रमांक एफ. 1/(01)स्था./वि.जॉच/17सीसीए/2021/5509 दिनांक 07.09.2021 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी/अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— सुश्री प्रांजल कंवर, तहसीलदार निवाई, जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः— 19.09.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक के आदेश क्रमांक एफ.1/(01)स्था./वि.जॉच/17 सीसीए/2021/5509 दिनांक 07.09. 2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

जिला कलक्टर टोंक ने अपीलार्थीया के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक एफ.1/स्था./वि. जॉच/17 सीसीए/2021/2400 दिनांक 14.06.2021 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थीया पर निम्न आरोप लगाये गयेः—

1. तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर टोंक के आदेश क्रमांक भू0अ06 ए4(2)/एसीडी/पीपलू/विजा/16/7934 दिनांक 28.11.2019 से श्री रामनारायण गुर्जर, पटवारी को बहाल किये जाने के पश्चात आदेश क्रमांक 8936—8409 दिनांक 17.12.2019 से पटवार मण्डल टोडा का गोठडा तहसील देवली मे पदस्थापन किया जाकर अविलम्ब कार्यमुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया। परन्तु आप द्वारा दिनांक 12.05.2021 तक भी उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त नही किया गया जिसके सम्बन्ध मे

भू–अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट टोंक के पत्रांक एफ8()/स्था./पदस्था/पट/स्था./2019/3730 दिनांक 24.05.2021 से स्पष्टिकरण चाहा गया। उक्त क्रम मे आप द्वारा द्वारा दिनांक 03.06.2021 से स्पष्टिकरण भिजवाया गया, जिसमे कार्मिक श्री गुर्जर को कार्यमुक्त नही करने के सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट कारण अंकित नही किया गया। इस प्रकार आप द्वारा जिला कलक्टर टोंक के आदेशो की अवहेलना कर अपने स्तर पर पटवारी को 17 माह तक कार्यमुक्त नही करने के लिए दोषारोपित है।

2. तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर टोंक के आदेश क्रमांक भू0अ06 ए4(2)/एसीडी/पीपलू/विजा/16/7934 दिनांक 28.11.2019 से श्री रामनारायण गुर्जर, पटवारी को बहाल किये जाने के पश्चात आदेश क्रमांक 8936–8409 दिनांक 17.12.2019 से पटवार मण्डल टोडा का गोठडा तहसील देवली मे पदस्थापन करेन के उपरान्त भी कार्मिक श्री गुर्जर को 12.05.2021 तक कार्यमुक्त नही कर तहसील मे ही अन्य पटवार मण्डल पर कार्य लेते हुए वेतन भुगतान किया गया जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के अन्तर्गत पटवारी का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी /जिला कलक्टर द्वारा किया जा सकता है।

अपीलार्थीया को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि मे दिनांक 05.07.2021 को जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। अपीलार्थीया ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहा लेकिन दण्डाधिकारी ने सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर टोंक के दण्डादेश दिनांक 07.09.2021 को इस अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी तहसीलदार को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर टोंक का टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थीया को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर टोंक, से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा जिला कलक्टर टोंक के आदेश क्रमांक एफ.1/(01)स्था./वि.जॉच/17 सीसीए/2021/5509 दिनांक 07.09.2021 से अपीलार्थीया तहसीलदार निवांई के पद पर कार्यरत रहते हुए प्रकरण मे गम्भीर लापरवाही एवं उच्चतर अधिकारियो के आदेशो की अवहेलना कर श्री

रामनारायण गुर्जर पटवारी को जिला कलक्टर टोंक के आदेश क्रमांक एफ8(2)/स्थापना/पदस्था/पअ/स्था/2019/8395–8409 दिनांक 17.12.2019 की पालना मे 17 माह तक कार्यमुक्त नही किया जो उच्चाधिकारी के आदेशो की अवहेलना की श्रेणी मे आता है। उक्त कृत्य के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया था।

अपीलार्थीया ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया पटवारी श्री रामनारायण गूर्जर का बहाली आदेश 28.11.2019 को जारी किया गया। जिसमें मुख्यालय परिवर्तन सम्बंधी कोई टिप्पणी अंकित नही की गई। जबकि पदस्थापन आदेश दिनांक 17.12.2019 को जारी किया गया। उप तहसील दत्तवास के मुख्यालय का भू0अ0 नि0 वृत्त का क्षेत्रफल अधिक व कार्य की दृष्टि से बहुत बड़ा वृत्त है। जिसमें लगभग 25 ग्राम है। जिससे डीआइएलआर एमपी के अन्तर्गत तरमीम कार्य एवं अन्य कार्य अधिक मात्रा में लम्बित था। जिस कारण कार्मिक को लम्बित कार्य पूर्ण करने के लिए भू0अ0नि0 वृत्त दत्तवास के रिक्त पटवार मण्डलों पर कार्य करवाया गया। जिसमें कार्मिक द्वारा लम्बित कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। तहसील देवली ऑनलाइन हो चुकि है तथा तहसील निवाई में कार्य लम्बित होने से उक्त सम्बन्ध में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी से विचार विमर्श किया गया जिसके अनुसार पटवारी को तत्समय कार्य की अधिकता को देखते हुए कार्यमुक्त नहीं किया गया। तथा इस बाबत जिला कलक्टर टोंक को निवेदन करते हुए एक पत्र भी तहसीलदार निवाई के पत्रांक 1416 दिनांक 12.02.2020 द्वारा भिजवाया गया था। माह फरवरी एवं माह जूलाई में भी तत्कालीन जिला कलेक्टर टोंक से भी व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर दिनांक 09.10.2020 को ग्राम दत्तवास में आयोजित जनसुनवाई शिविर में स्थानीय विधायक सरपंच ग्राम पंचायत दत्तवास के साथ भी जिला कलेक्टर टोंक से पटवारी हल्का को कार्यमुक्त करने के सम्बंध में चर्चा की गयी जिसमें जिला कलेक्टर टोंक द्वारा मौके पर आश्वस्त करते हुए पदस्थापन स्थान पर परिवर्तन जारी करनें की मौखिक स्वीकृती प्रदान की गयी। उक्त कार्मिक से तहसील निवाई में नियमानुसार राजकार्य करवाया जाकर वेतन का भूगतान किया गया इसमें किसी भी प्रकार की दूर्भावना, स्वैच्छाचारिता व उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना नाम मात्र भी नही की गयी। आरोप संख्या 2 के संबंध तहसील निवाई के मूल पदस्थापित पटवारियान द्वारा रिक्त पटवारी मण्डल का कार्य नहीं किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन उच्चाधिकरियों से विचार विमर्श कर ही उनकी मौखिक स्वीकृती के अनुसार ही कार्मिक को पत्रांक 14892 दिनांक 16.12.2019 के द्वारा पटवारी मण्डल तुर्किया एवं दत्तवास में

किया जाकर वेतन भूगतान किया है। अपीलार्थी द्वारा जान–बूझकर उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना नहीं की गई। अतः अपीलार्थीया ने जिला कलक्टर टोंक द्वारा जारी आदेश एफ.1/(01)स्था./वि.जॉच/17 सीसीए/2021/5509 दिनांक 07.09.2021 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी तहसीलदार को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उप तहसील दत्तवास के मुख्यालय का भू0अ0 नि0 वृत्त का क्षेत्रफल अधिक व कार्य की दृष्टि से बहुत बड़ा वृत्त है। अपीलार्थीया द्वारा तहसील निवाई मे कार्य लम्बित होने से पटवारी को तत्समय कार्य की अधिकता को देखते हुए कार्यमुक्त नहीं किया। जिसके सम्बध मे अपीलार्थी द्वारा जिला कलेक्टर टोंक को भी अवगत करा दिया गया। अपीलार्थीया को अनावश्यक आरोपों से आरोपित कर 17 सीसीए के तहत कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होती है। जिला कलक्टर टोंक ने अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 07.09.2022 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीया सुश्री प्रांजल कंवर, तहसीलदार निवाई, जिला टोंक विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, टोंक की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीया को भविष्य मे सावधानी से कार्य करने की मौखिक चेतावनी देते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 07.09.2021 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर